



40

न्यायालय मोप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर मोप्र०

मोक्र०

/ 14 पुनरीक्षण R 2204-214

M.K. Jain
Advocate

मोक्र० के लिए अपेक्षा
द्वारा आज दि. 22.7.14 को
प्रस्तुत
लग्नक ऑफ कोटि. 7-14
राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

सेवकराम पुत्र श्री भीकम सिंह जाति लोधी
आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम हाँसुआ तहसील
व जिला विदिशा, मोप्र०

आवेदक

बनाम

1. श्रीमति स्मृति किरतानिया पत्नि श्री हाराधन
आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम हाँसुआ तहसील
व जिला विदिशा, मोप्र०
2. मोप्र० शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय,
विदिशा, मोप्र०

अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू० राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 05.06.2014 सीमाकंन न्यायालय तहसीलदार महोदय

विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ12/13-14 में पारित।

श्रीमां गुलाबी (रा.भ.)
न्यायालय महाराष्ट्रकर्ता, वालिया

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदक ग्राम हाँसुआ जिला विदिशा स्थित भूमि क्रमांक 7/1 रकवा 1.314 हैव० का भूमि स्वामी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/2 रकवा 0.063 हैव० अहमदपुर रोड में उत्तर तरफ शामिल है। जिससे अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि लगी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/1 में मकान, कुआ, आम के पेढ़ स्थित हैं।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 तथा 4 अन्य अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय विदिशा ने समक्ष स्वयं की भूमि क्रमांक 7/3/2 का सीमाकंन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
3. यहकि, तहसीलदार महोदय विदिशा द्वारा सीमाकंन के लिये, प्रतिवेदन, पंचनामा सहित प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

B
NSC

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2204-एक/2014 निगरानी

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभावकों आ के हस्ताक्षर
३.१०-१६	<p>यह निगरानी तहसीलदार विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 के विळद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व सहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सार्वांश यह है कि अनावेदक क्र-1 श्रीमती स्मृति किरतानिया पलि हाराधन निवासी ग्राम हांसुआ ने तहसीलदार विदिशा को उसके स्वामित्व की ग्राम हांसुआ दिश्त भूमि सर्वे नंबर 7/3/2 के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/13-14 पंजीबद्व कर सीमांकन के निर्देश जारी किये। पटवारी हलका नंबर 86 से दिनांक 30-5-14 को मौके पर जाकर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार विदिशा को प्रस्तुत किया। पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार विदिशा ने आदेश दिनांक 5-6-14 पारित किया तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को यह लिखकर अंतिमता प्रदान की कि प्राप्त आवेदन पत्र पर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया है। इसी आदेश के विळद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।</p> <p>3/ निगरानी मेमो में अकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एम०के०जैन एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री वाई०एस०भद्रौरिया को सुना गया। आवेदक की ओट से प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनरथ व्यायालय के प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/13-14 का अवलोकन किया गया।</p> <p>4/ तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/13-14 में राजस्व निरीक्षक का सीमांकन प्रतिवेदन अथवा पंचनामा संलग्न नहीं है अपितु पटवारी हलका नंबर</p>	

१५.



86 श्री अतुल श्रीवास्तव व्हारा दिनांक 30-5-14 को स्थल पर किये गये सीमांकन का प्रतिवेदन संलग्न है जिसे तहसीलदार व्हारा राजस्व नियीक्षक का प्रतिवेदन मानने में भूल की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत विरचित नियमों के अधीन सीमांकन कार्यवाही हेतु तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान की गई है तथा असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-10 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ समस्त राजस्व नियीक्षकों को उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है किन्तु संहिता की धारा 129 के अधीन इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता (नाथूराम विलद्व नरोलम कुमार 1971 रानी 252 से अनुसरित) जबकि विचाराधीन प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही पटवारी व्हारा की गई है जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 बृतिपूर्ण होने से इथर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ यदि तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 नियम एवं प्रक्रिया के विळद्व पाये जाने से निरस्त किया जाता है तब सीमांकन कराने वाला कृषक सीमांकन के लाभ से बचित होगा, जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 31 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनावेदक क्र-1 की भूमि का राजस्व नियीक्षक से अथवा अधीक्षक/उप अधीक्षक भू अभिलेख से पुनः सीमांकन कराते तदुपरांत प्रकरण में पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।